न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/103/2020	28–10–2020	18–11–2020

1–विकास यादव पुत्र स्व0 सत्यपाल यादव जाति अहीर निवासी 332/18 सिविल लाईन गुरूग्राम –हरियाणा

अपीलान्ट

बनाम

1–राज0 सरकार जरिये जिला कलक्टर अलवर
2–उप तहसीलदार बहादरपुर लैण्ड होल्डर बहादरपुर अलवर।

रेस्पौडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय उप तहसीलदार बहादरपुर दिनांक 05–10–2020 अन्तर्गत धारा 91 भूराजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 54/2020

उपस्थित :–
01. श्री चन्द्रमोहन शर्मा –वकील अपीलान्ट
02. श्री दीपक मीना –राजकीय अधिवक्ता

––:: निर्णय ::––

अपीलान्ट्स ने यह अपील उप तहसीलदार बहादरपुर के आदेश दिनांक 05–10–2020 जिसके तहत अपीलान्ट को ग्राम रायबका के आराजी खसरा नम्बर 15 रकबा 0.29 किस्म सिवायचक बारानी पर से दण्डित एवं सिविल कारावास करने के आदेश दिये गये है, से व्यथित होकर पेश की है।

अपील अपीलान्ट्स दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकार्ड तलब किया गया। बहस सुनी गई।

जिला कलेक्टर
अलवर (राज0)

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकार्ड तलब किया गया। बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि तहत अदालत ने विवादित आराजी खसरा नम्बर 15 रकबा 0.29 है0 किस्म सिवायचक बारानी उत्तम पर अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर तहत अदालत द्वारा धारा–91 के अन्तर्गत नोटिस जारी कियें। अपीलान्ट तहत अदालत में उपस्थित नहीं हुए थे जिस कारण अपीलान्ट की गैर मौजूदगी में उसका पक्ष सुने बिना अपीलीय निर्णय पारित किया गया है। वर्तमान में अपीलान्ट विवादित आराजी पर कभी कोई अतिक्रमण नहीं किया व ना ही फसल बोई है व ना ही फसल काटी गई है। अपीलान्ट के पिता सत्यपाल सिंह जिनका निधन दिनांक 1.6.2019 को गया था उनकी व उसके भाईयों की खातेदारी की आराजी ग्राम रायबका में स्थित है, पटवारी हल्का ने सही प्रकार से जांच ना कर अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत की है। अपीलान्ट समाल में इज्जतदार

व्यक्ति है जिसके सिविल कारावास में जाने से उसकी व परिवार की प्रतिष्ठा धूमिल होकर तबाही व बर्बादी निश्चित है। तहत अदालत ने प्राकृतिक न्याय के नैसर्गिक सिद्वान्त की अवहेलना करते हुए विधि विरूद्व निर्णय पारित किया है जो निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट अतिक्रमी नहीं है, अपीलान्ट गांव का सम्मानित व्यक्ति है यदि उसे गिरफ्तार कर लिया गया तो उसकी गांव में जो साख है वह कम हो जायेगी जबकि अपीलान्ट द्वारा ना तो कभी उक्त आराजी पर अतिक्रमण किया ना ही आगे कभी अतिक्रमण करने का इरादा करता है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि आराजी सिवायचक बारानी उत्तम की है। जिस पर उन्हें कोई अधिकार नहीं है। अपीलान्ट द्वारा पूर्व में भी तहत अदालत द्वारा भौतिक रूप से बेदखल किया जा चुका है। पीठासीन अधिकारी द्वारा बार–बार बेखदली आदेश के बावजूद अप्रार्थी ने सिवायचक बारानी उत्तम की भूमि पर अतिक्रमण नहीं हटायें जाने पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। तहत अदालत के आदेश 05–10–2020 को यथावत रखा रखा जावें। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जावे।

हमनें पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। अपीलान्ट ने अपील पेश कर मुख्य तर्क उठाया है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 15 रकबा 0.29 हैक्टर कोई अतिक्रमण नहीं है। तहत अदालत ने बिना जांच कराये अपीलान्ट को अतिक्रमी मानकर 3 माह के सिविल कारावास से दण्ड कर निर्णय पारित किया है। तहत अदालत के निर्णय का अवलोकन किया गया तहत अदालत द्वारा अपीलान्ट को साक्षय का समुचित मौका देकर अपीलीय निर्णय पारित करना चाहिए था बिना साक्षय का समुचित अवसर दिये अपीलीय निर्णय को उचित नहीं ठहराया जा सकता। अपील अपीलान्ट स्वीकार एवं पुनः प्रतिप्रेषित किए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर उप तहसीलदार बहादरपुर का आदेश दिनांक 05–10–2020 को निरस्त किया जाता है। तथा प्रकरण उप तहसीलदार बहादरपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट को सुनकर विधिवत् सुनवाई कर पुनः निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड सहित भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम हो, बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18–11–2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलेक्टर
अलवर (राज.)
(आनन्दी)
जिला कलक्टर, अलवर